यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, हरिद्वार** के माह 02/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ),श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक15.09.2020 से 22.09.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक,एवं श्री संजीव कुमार,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 14.02.2018 से 19.02.2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव,वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 09/2016 से 01/2018तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**जनपद हरिद्वार के अंतर्गत विकास खंड बहादराबाद, लक्सर एवं खानपुर में नलकूपों के निर्माण,अनुरक्षण एवं संचालन का कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत (-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	10.55	10.08	1302.56	1302.56	--	--
2018-19	--	--	51.69	47.23	1249.01	1021.96	--	--
2019-20	--	--	32.87	30.35	233.70	206.57	--	--
2020-21(माह 08/2020 तक)	--	--	--	--	230.65	72.07	--	--

वर्ष 2020-21 में माह 04/2020 से वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों में बजट का आवंटन उत्तराखंड राज्य द्वारा केंद्रीयकृत प्रणाली से आवंटन हो रहा है, तदनुसार ही वेतन आहरण होता है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2017-18	----शून्य---				
2018-19					
2019-20					
2020-21(माह 08/2020 तक)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई "B"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल,रुड़की
5. अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वारको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड,हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माहसितंबर 2018 एवं मार्च 2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय एवं भिन्न वित्तीय वर्षों के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi) विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में अधीक्षण अभियंता दिनांक 17.06.2020 से 18.06.2020 तक निरीक्षण किया गया है।

(vii) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी लेखापरीक्षा तिथि तक पूर्ण किए जाने की कार्यवाही गतिमान थी।

(viii) फार्म 51: माह 08/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम -शून्य

भाग द्वितीय - रु 11,44,384.00

(ix) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 08/2020 के अन्त में:-

(धनराशि रु॰ में)

(i)	नगद परिशोधन	शून्य
(ii)	सामग्री क्रय	शून्य
(iii)	निक्षेप पंजिका	1,48,797.00
(iv)	प्रकीर्ण अग्रिम	रु॰ शून्य
(v)	भण्डार	लेखे पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया गतिमान थी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर- 1: अनियमित/संदेहास्पद भुगतान ₹19.21लाख तथा विभागीय जांच आख्या पर अपेक्षित कार्यवाही न किया जाना। ।

Para 169 of FHB Vol-V (Part-1) provides that every Government servant should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred in connection with transactions of Government business as a person of ordinary prudence would exercise in spending his own money. The drawing and disbursing officer is responsible for ensuring that vouchers are prepared according to the rules. Para's 157, 447, 448, 450, 451 and 731 of FHB (Vol-VI) had provided documents-vouchers, bills, memorandum of work done and materials supplied and Measurement Book and cross entries in these records to ensure the genuineness of payments.

कार्यालयअधिशासीअभियंता, नलकूपखंड, (सिंचाईविभाग), हरिद्वारकेअभिलेखोकीलेखापरीक्षाजांच(सितम्बर 2020) मेंगंभीर वित्तीयअनियमितता/संदेहास्पद भुगतान संबंधी प्रकरणप्रकाशमेंआए:

- **i.** खंड के अधीन कार्यरत सहायक अभियंता द्वारा नलकूप संख्या 8LG, 78LG,& 61LG में PVC पाइप लाइन के निर्माण हेतु श्रीशमशादअहमद(ठेकेदार) केपक्ष एक कार्यदेश (W/O No.-42/4818; dated 14/12/2016, अनुमानित लागत ₹236213.94) निर्गतकियागया। खंड द्वारा श्रीशमशादको निर्माण सामग्री (PVC Pipe)निर्गतकीगयीहै।लेखापरीक्षामेंपायाकिउक्त कार्य के माप की प्रविष्टि (मापपुस्तिका-05/L पृष्ठसंख्या 30-32) पहले मूल ठेकेदार श्रीशमशादके नाम की गयी है, किन्तु बाद में ठेकेदार का नाम काट कर M/s Anand Goyal को₹236279.00 का भुगतानकियागयाहै जबकि मूलकार्यदेशमेंश्रीशमशादअहमदकेही हस्ताक्षरहै।(***खंड द्वारा लेखा परीक्षा को भुगतान वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है।***)
- **ii.** इसी प्रकार 17 नलकूपो के निर्माण कार्य (Repairing of outlets and P/H paint and compound cleaning) हेतु श्रीशमशादअहमद(ठेकेदार) केपक्ष में एक कार्यदेश (W/O No.-40/4818; dated 14/12/2016, अनुमानित लागत ₹154456.00) निर्गतकियागया।लेखापरीक्षामेंपायाकिउक्त कार्य के माप की प्रविष्टि (मापपुस्तिका-05/L पृष्ठसंख्या33-35) M/s Anand Goyal के नाम कर ₹152829.00 का भुगतानकियागयाहै जबकि मूलकार्यदेशमेंश्रीशमशादअहमदकेही हस्ताक्षरहै।(***खंड द्वारा लेखा परीक्षा को भुगतान वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है।***)
- **iii.** 17 कार्यदेश (लागत₹1142678.00) परठेकेदारकेहस्ताक्षरहीनहींहै। (**सूची संलग्न**)

लेखापरीक्षाजांच में पाया कि खंड के अंतर्गत फर्जी कार्य/पाइप घोटाले संबंधी शिकायत की जांचहेतुअधीक्षणअभियंता, नलकूपमण्डलरुड़कीद्वाराएकजांचसमिति[1] कागठन (04/2018) कियागया।समितिद्वाराजांचरिपोर्टलगभगएकवर्षबादअधीक्षणअभियंताकोप्रस्तुत (03/2019) कीगयी। समितिद्वाराप्रस्तुतजांचआख्याकोमुख्यअभियंता (यांत्रिक), सिंचाईविभाग,देहरादूनद्वाराअवलोकनोपरांत (10/2019) प्रमुख अभियंता (कार्मिक अनुभाग-1), सिंचाई विभाग को जांच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित (11/2019) किया गया। जांच समिति द्वारा दोषी कार्मिको के विरुद्ध संस्तुत कार्यवाही अगस्त 2020 तक लंबित

---

[1]पी॰के॰वर्मा, अधिशासीअभियंतास्थापनाखंडरुड़की(अध्यक्ष), श्रीमती रीतिका पाल, सहायक अभियंता, स्थापनाखंडरुड़की(सदस्य) और श्री संजय बहुगुणा सहायक अभियंता, सिंचाई कार्यशाला, रुड़की(सदस्य)।

थी। विभाग द्वारा तत्कालीन सहायक अभियंता को लघु डाल खंड, पिथौरागढ़ में स्थानांतरित किया (जून 2018) गया, तथा तत्कालीन अधिशासी अभियंता दिसम्बर 2018 में सेवानिवृत हो चुके है।

लेखापरीक्षाद्वारा विभागीयजांचसमितिद्वाराप्रस्तुतजांचआख्याके अवलोकन मेंपायाकितत्कालीनसहायकअभियंताऔरअधिशासीअभियंताद्वाराव्यापकगंभीरवित्तीयअनियमितताएँकीगयीथी।समितिद्वारासहायकअभियंताकोकुल 15 प्रकरण (संलग्नक-1) मेंवित्तीयअनियमितता (₹1530592.00) कादोषीपायाजिसमे तत्कालीनसहायकअभियंताद्वाराअभिलेखोमेंकूटरचनाकरकटिंगकीगयीतथामूल/वास्तविकठेकेदारकोभुगताननकरकेअनियमितरूपसेदूसरेठेकेदारकोभुगतानकीसंस्तुतिकीगयीतथासंबन्धितअधिशासीअभियंताद्वाराभुगतानपारित कियागया।

जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि खंडमेंसंबन्धितअभिलेखो [2] कासमुचितरख-रखावसुनिश्चितनहींकियागयाहैऔरजांचसमितिकेसमक्षप्रस्तुतभी नहींकिया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड को निर्देशित किया कि, अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की दशा में संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जाए किन्तु खंड द्वारा न तो समिति के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत किया गया और न ही प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की गयी।

लेखापरीक्षाद्वाराआगेजांचमेंपायाकिउपरोक्त 15 प्रकरणकेसापेक्षमात्रएकप्रकरण (ईलमचंदV/S सरफराज) जिसमेकिमूलठेकेदारद्वाराविभागएवंशासनस्तरतकशिकायत (12/2018) किएजानेकेबादमुख्यअभियंताद्वारापत्रांकसंख्यासी-3482/मु॰अ॰(या॰)/जांच; दिनांक 20/11/2019 केद्वाराआदेशनिर्गतकियागयाकिकार्यदेशसंख्या 33/4819 कीधनराशि₹286550.00 जोदूसरेठेकेदारकोकीगयीथीकीवसूलीसहायकअभियंता/ठेकेदारसेकरश्रीइलमसिंहकोभुगतानकियाजाए।उक्तआदेशकेआधारपरखंडद्वारामाहमार्च 2020 मेंठेकेदारसरफराजसेवसूलीकरमूल/वास्तविकठेकेदारकोभुगतान (Vr॰No. 27/ दिनांक 21 मार्च 2020) कियागया अवशेष 14 प्रकरणोमेंअनियमितभुगतानकीवसूलीहेतुविभागस्तरसेकोईकार्यवाहीसंस्थितनहींकीगयी थी। उक्त के अतिरिक्त जांच समिति की संस्तुति के सापेक्ष समस्त कार्यवाही लंबित है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा लेखा परीक्षा द्वारा उल्लेखित किए गए 03 प्रकरण के सापेक्ष अवगत कराया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी। विभागीय जांच समिति द्वारा संस्तुति के सापेक्ष कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों द्वारा कोई दिशा-निर्देश न मिलने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः अभिलेखोमेंकूटरचनाकरकटिंगकर मूल/वास्तविकठेकेदारकोभुगताननकरके/अनियमितरूपसेदूसरेठेकेदारकोभुगतान संबंधी गंभीर वित्तीयअनियमितताप्रकरण और विभागीय जांच के सापेक्ष वर्तमान तक कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] कार्योकेएग्रीमेंट/कार्यादेश, उससेसंबन्धितमापपुस्तिकाएँएवंसंबन्धितकनिष्ठअभियन्ताओंके 1S, 2S और 3S एवंअन्यपत्रव्यवहार।

संलग्नक-1

विभागीयजांचसमितिद्वाराउल्लेखितप्रकरण

क्रम संख्या	कार्यदेश संख्या एवं दिनांक / कार्यदेश की धनराशि	प्रकरण	भुगतान की धनराशि वाउचर / संख्या	माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ठ संख्या
	No.-33/4819; dated 20/01/2017 ₹281637.00	उक्तकार्यादेशश्रीईलमचंदकेनामनिर्गतकियागया।मूलकार्यदेशमेंश्रीईलमचंदठेकेदारकेहस्ताक्षरहैएवं उन्हीकेद्वाराकार्यकियागयापरंतुद्वितीयप्रतिमेंकूटरचनकरकेअन्यठेकेदार (श्रीसरफराज) केहस्ताक्षरकराकरबिलमेंनामपरिवर्तितकरकेश्रीसरफराजकोभुगतानकियागयाहै।बिलमेंठेकेदारकेहस्ताक्षरभीनहींहै।	₹286550.00 /Voucher No. - 124; dated 15/10/2017	**06/L; Pg-43**
	No.-32/4819; dated 01/01/2017 ₹17290.00	कार्यदेश को ठेकेदार श्री राकेश कुमार के पक्ष में निर्गत किया गया है तथा राकेश कुमार के हस्ताक्षर भी है। परंतु सहायक अभियंता द्वारा कटिंग करके अन्य ठेकेदार श्री अकबर के नाम करते हुए श्री अकबर को भुगतान किया गया है।	₹17290.00 /Voucher No. - 10; dated 22/08/2018	**03/L; Pg-55**
	No.-44/4818; dated 11/01/2017 ₹284750.00	कार्यदेश की तीनों प्रतियों में ठेकेदारों के नाम अलग 2-अंकित है। एक कार्यदेश में श्री आदेश त्यागी का नाम अंकित है, जबकि दूसरी प्रति में श्री अकबर का नाम अंकित किया गया है। माप पुस्तिका में ठेकेदार का नाम आदेश त्यागी अंकित किया गया है, जिसको बाद में कटिंग करके श्री अकबर को भुगतान की कार्यवाही की गयी है।	₹293221.00 /Voucher No. - 79; dated 15/10/2017	**20/L; Pg-20 to 21**
	No.-22/4818; dated 02/11/2016 ₹26000.00	कार्यदेश ठेकेदार श्री राकेश के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर श्री अकबर के नाम किया गया। कार्यदेश में दोनों ठेकेदार के हस्ताक्षर है।	**NA**	**03/L; Pg-47**

	No.-50/4819; dated 01/03/2017 ₹26000.00	कार्यादेश मूल रूप में श्री राकेश कुमार के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर श्री अकबर के नाम किया गया है।	**NA**	**NA**
	No.-16/4819; dated 02/11/2016 ₹17290.00	कार्यादेश मूल रूप में श्री राकेश कुमार के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर श्री अकबर के नाम अंकित कर अकबर को भुगतान की कार्यवाही की गयी है। कार्यादेश पर श्री राकेश कुमार के ही हस्ताक्षर है।	₹17290.00 /Voucher No. - 15; dated 22/08/2018	**03/L; Pg-46**
	No.-21/4819; dated 03/11/2016 ₹237770.39	कार्यादेश संख्या मूल रूप में श्री राकेश कुमार के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर श्री अकबर के नाम अंकित किया गया कार्यदेश पर दोनों ठेकेदार के हस्ताक्षर है।	₹236505.00 /Voucher No. - 16; dated 23/06/2017	**06/L; Pg-31-33**
	No.-29/4819; dated 01/01/2017 ₹26000.00	कार्यादेश संख्या मूल रूप में श्री राकेश कुमार के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर श्री अकबर के नाम अंकित किया गया कार्यदेश पर श्री राकेश कुमार के ही हस्ताक्षर है। भुगतान श्री अकबर को किया गया है।	₹18200.00 /Voucher No. - 79; dated 19/08/2017	**03/L; Pg-53**
	No.-04/4823; dated 01/03/2017 ₹34580.00	कार्यादेश मूल रूप में श्री राकेश कुमार के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर Sh॰ Shivam Enterprises के नाम किया गया लेकिन कार्यदेश पर ठेकेदार राकेश कुमार के हस्ताक्षर है।	**NA**	**NA**
	No.-05/4823; dated 01/03/2	कार्यादेश मूल रूप में श्री राकेश कुमार के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में काट कर Sh॰ Shivam Enterprises के नाम किया गया लेकिन कार्यदेश पर ठेकेदार राकेश कुमार के हस्ताक्षर है।	**NA**	**NA**

	017 ₹52000 .00			
	No.- 35/4823; dated 01/05/2017 ₹59850 .00	कार्यादेश पर JE व ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं है।	**NA**	**NA**
	No.- 11/5002; dated 22/07/2017 ₹236550.00	कार्यदेश श्री फुरकान के नाम निर्गत किया गया जिसे बाद में कटिंग करके श्री कालू राम के नाम किया गया।	**उक्त कार्यदिश ठेकेदार श्री जुबेर के पक्ष में निर्गत किया गया है तथा भुगतान श्री जुबेर को किया गया है। किसी प्रकार की कटिंग नहीं है। लेखा परीक्षा को संबन्धित प्रकरण की वास्तविक कार्यदिश संख्या से अवगत करावें।**	
	No.- 16/5004; dated 06/10/2017 ₹164540.76	कार्यादेश श्री सरफराज के पक्ष में निर्गत किया गया था किन्तु कार्यादेश पर ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं है।	**NA**	**NA**
	No.- 20/5002; dated 21/07/2017 ₹264259.00	कार्यदेश M/S OM Traders के नाम निर्गत किया गया किन्तु ठेकेदार का नाम काटकर VS Enterprises किया गया। कार्यादेश पर ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं है।	**NA**	**NA**
	No.- 18/5002; dated 21/07/2017 ₹38625 .00	कार्यादेश संख्या M/S OM Traders के नाम निर्गत किया गया लेकिन कार्यादेश पर ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं है।	**NA**	**NA**
यो	**153059**	**क्रमसंख्या12 परस्थितप्रकरणकोगणनामेंशामिलनहींकियागयाहै।**		

ग	2.00	

टिप्पणी :

1- NA सेसंबन्धितअभिलेखोकीछाया-प्रतिलेखापरीक्षाकोउपलब्धनहींकरायागया।

2- क्रमसंख्या12 केसम्मुखइंगितटिप्पणीकेसापेक्षस्पष्टीकरणसेअवगतनहींकरायागया।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-2 : स्टॉक एवं यंत्र-संयंत्र लेखो का रख-रखाव न किया जाना और स्टॉक से संबन्धित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में।

शासनादेश संख्या 1413/11-2016/01(123)/2016 दिनांक 05 सितम्बर 2016 के द्वारा नलकूप खंड, हरिद्वार का सृजन होने के उपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड के पत्रांक संख्या नि॰ ले॰-02/336-340; दिनांक 09/12/2016 द्वारा भुगतान हेतु प्राधिकार प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप नलकूप खंड, रुड़की से उक्त खंड को संचालित कार्यो हेतु कुल रु.6.85 करोड़[3] की स्टॉक सामाग्री प्राप्त हुई थी:

कार्यालय अधिशासी अभियंता,नलकूप खंड,(सिंचाई विभाग), हरिद्वार के स्टॉक और यंत्र संयंत्र से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि, खंड एवं अधीनस्थ उप-खंड द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका (भाग-**VI)** प्रावधानों के अनुरूप स्टॉक लेखो का रख-रखाव सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जाने एवं खंडीय लेखा अधिकारी द्वारा भी अनेकों पत्र एवं अनुस्मारक के माध्यम से खंड एवं उपखंड को वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप लेखो का रख रखाव किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने के बावजूद भी खंड द्वारा वर्तमान तक वांछित कार्यवाही नहीं की गई।लेखा परीक्षा जांच में स्टॉक से संबन्धित निम्न वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण/तथ्य प्रकाश मे आए।

1- उप-खंड-**I** द्वारा समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन और माप (**Record Measurement)**के बिना ही स्टॉक लेखे 5(**S)** में प्राप्ति अंकित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त उप-खंड-**I** द्वारा वित्तीय प्रावधानों (**FHB Vol-VI)** के प्रस्तर 196 के प्रावधानों के विरुद्ध 6(**S**) पंजिका में रु(-)**4,10,37,806.00** लागत की सामाग्री को **Write back** (03 & 04/2017) किया गया है जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

2- **FHB Vol-VI** के प्रस्तर 721 के प्रावधानों के अनुसार समस्त उप-खंड को प्रारम्भिक लेखे प्रत्येक माह 25 तारीख को खंड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और **FHB Vol-VI** के प्रस्तर 724, 212(**a)** और 220 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक उपखंड को प्रत्येक छमाही (मार्च और सितम्बर) में प्राप्ति और निर्गत की छमाही रिपोर्ट खंड में प्रस्तुत किया जाना चाहिए किन्तु उपखंड अधिकारियों द्वारा खंड की स्थापना से लेकर मार्च 2020 तक (कुल 7 रिटर्न)के लेखो को वर्तमान तक खंड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परिणामस्वरूप 3(**S)** और 4(**S)** पंजिका की अर्धवार्षिक बंदी खंड की स्थापना से लेकर मार्च 2020 तक लंबित है।

3- वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-VI के प्रस्तर-230. के अनुसार "Divisional Officer are to have stock taken throughout their sub-divisions at least once a year."लेखा परीक्षा जांच में पाया कि खंड द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किए जाने और यंत्र-संयंत्र पंजिका का रख-रखाव संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं किया गया था।

4- वर्ष 2016-17 में नाबार्ड -20 और 22 के कार्यो हेतु खंड को कुलरु62.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ हुआ। खंड के माह 02/2017 के मासिक लेखो के अनुसार ₹71219462.00 का स्टॉक निर्गत किया गया एवं रु 13621748.00 के चेक जारी किए गए थे। इस प्रकार वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध व्यय मद (**Nabard-20/4700-04-051-98-01-24)** में बजट /**CCL** आवंटन के बिना व्यय किया गया। और

3

क्रमसंख्या	**माह/वर्ष**	**लागत (₹)**
1.	12/2016	35,49,540.00
2.	01/2017	6,34,83,179.00
3.	02/2017	14,74,828.00
कुललागत		**6,85,07,547.00**

लेखा शीर्ष **M&R 20/2702-03-103-00-29** के अंतर्गत माह 02/2017 से 11/2018 तक रु 14489425.30 के स्टॉक लेखो का वर्तमान तक समायोजन नही किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि, स्टॉक और यंत्र संयंत्र लेखो की बंदी की कार्यवाही गतिमान है और आगामी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। स्टॉक समायोजन के संबंध में अवगत कराया गया प्रकरण को स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया गया है।

अतः खंड एवं अधीनस्थ उप-खंड द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका (भाग-**VI)** के प्रावधानों के अनुरूप स्टॉक लेखो का रख-रखाव सुनिश्चित न किए जाने का गंभीर प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1:- असफल राजकीय नलकूपों के विद्युत संयोजन के विच्छेदन नहीं किए जाने से खंड पर रु. 97.90 लाख के विद्युत बिलों की देयता का सृजन किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,नलकूप खंड, (सिंचाई विभाग), हरिद्वार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास खंडों में राजकीय नलकूपों के संचालन की स्थिति (अप्रैल 2020) निम्नवत है।

विकास खंड	ऊर्जीकृत	परित्याग हेतु प्रस्तावित	असफल	चालित नलकूप/लिफ्ट की संख्या
बहादराबाद	161	3	16	142
खानपुर	67	2	8	57
लक्सर	114	--	15	99
कुल	**342**	**05**	**39**	**298**

खंड की रिपोर्ट (04/2020) के अनुसार 39 नलकूप असफल की श्रेणी में रखे गए थे जो वर्ष 2006 से 2019 तक की अवधि में के बीच असफल घोषित हुए थे। खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए नलकूपों के विद्युत देयकों की जांच में असफल घोषित 19 नलकूपों के विद्युत बिल प्राप्त थे जिनका विवरणनिमन्वत है:-

क्रम संख्या	नलकूप संख्या	ग्राम का नाम	असफल होने का वर्ष	विद्युत संयोजन संख्या (K. No.)	अंतिम प्राप्त विद्युत बिल की राशि
1.	5 HG	नलोवाला	2016	24700	3075663.00
2.	10 HG	पीलीपड़ाव- द्वितीय	2015	24705	3036146.00
3.	125 RG	टकाभरी	2014	680DM11190035	570605.00
4.	203 RG	शिवदासपुर	2014	680DM11190062	159390.00
5.	207 RG	पूरनपुर	2013	680DM11190061	276919.00
6.	35 LG	गंगनौली	2016	LK1401147083	12613.00
7.	18 LG	सिकंदरपुर द्वितीय	2016	LK00901147093	39456.00
8.	108 MG	मिर्ज़ापुर	2019	LK1401147055	141788.00
9.	16 LG	रोहालकी	2015	LK01401147048	159150.00
10.	02 LG	निरंजनपुर	2016	LK00901147043	163002.00
11.	41 LG	दौसनी रजोपुर	2018	LK01401147082	163625.00
12.	31 LG	मोहम्मदपुर बुजुर्ग	2018	LK01401147089	171949.00
13.	43 LG	हुसैनपुर	2014	LK01401147088	173131.00
14.	38 LG	कूवाखेड़ी	2014	LK01401147020	173576.00
15.	25 HG	पीतपुर- प्रथम	2015	LK01401147022	178403.00
16.	17 LG	सिकंदरपुर-प्रथम	2019	LK00901147081	197318.00
17.	2 HG	पथरी बाग	2016	LK00905147114	201908.00
18.	121 HG	मीरपुर	2012	LK00905147166	238565.00
19.	48 LG	खेड़ी कला	2016	LK1401147085	656859.00
कुल					**9790066.00**

अवशेष 20 असफल नलकूपों के विद्युत बिलों के संबंध में खंड द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई

गई। प्राप्त विद्युत देयकों से स्पष्ट था कि असफल घोषित किए गए नलकूपों के विद्युत संयोजन के विच्छेदन हेतु खंड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिससे वर्तमान तक उनके विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं, जो अनावश्यक आर्थिक दायित्व का सृजन कर रहे हैं। यद्यपि खंड द्वारा असफल नलकूपों के विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है, तथापि जब तक विद्युत संयोजन विभाग के नाम पर है तब तक समस्त देयकों के भुगतान की ज़िम्मेदारी खंड की ही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद खंड द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित विद्युत वितरण खंड से व्यक्तिगत रूप से विद्युत बीजक हटाने को कहा गया है किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिस कारण असफल नलकूपों के Late Payment Surcharge (LPS) विद्युत बीजक में संलग्न कर आते हैं। किन्तु खंड द्वारा विदयतु संयोजन के विच्छेदन की कार्यवाही से संबन्धित कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए। साथ ही खंड द्वारा असफल नलकूपों से संबन्धित पाइप एवं अन्य मशीनरी के निकाले जाने के विषय पर पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि असफल नलकूपों में प्रयुक्त उपकरण संबन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा अपने स्टॉक में ले लिए गए है। पुनः खंड द्वारा अवगत कराया गया कि खंड द्वारा सिर्फ चालित नलकूपों के विद्युत बीजक सत्यापित किए जाते हैं। खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि असफल नलकूपों से मशीनरी एवं पाइप निकाले जा चुके हैं तो विद्युत विच्छेदन संबन्धित कार्यवाही भी की जानी चाहिए थी। ऐसा न किए जाने से संबन्धित विद्युत संयोजन के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही असफल नलकूपों के प्राप्त विद्युत बिलों के मात्र सत्यापन नहीं किए जाने से खंड अपनी देयता से नहीं बच सकता है। एक ओर उक्त नलकूपों को असफल घोषित किए जाने के कारण सींच नहीं दर्ज की जा रही है वही दूसरी ओर उक्त नलकूपों विद्युत संयोजन का विच्छेदन नहीं किया देयता को सृजित किया जाना है।

अतः खंड द्वारा असफल घोषित नलकूपों के विद्युत संयोजनों के विच्छेदन की कार्यवाही न कर रु. 97.90 लाख की देयता का सृजन किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो'ब'

प्रस्तर-2: तीन नलकूपों कीजल वितरण प्रणाली (गूल निर्माण) के कार्य को अनुचित/उच्चतर लागत दरों पर आगणित किए जाने से `19.54 लाख का परिहार्य व्यय एवं उक्त के कारण स्वीकृत लम्बाईमें से 656 मीटर के गूल निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश स0-568/II-2017-04(01)/2017 टी.सी.दिनांक 23-03-2018 के माध्यम से जनपद हरिद्वार के पथरी पुनर्वास क्षेत्र भाग-01 में चलित तीन राजकीय नलकूपों की 7.50 किमी0 जल वितरण प्रणाली (पत्थर की गूल) के जीर्णोद्वार हेतु नाबार्ड वित्त पोषण के तहत `178.55 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,नलकूप खण्ड,हरिद्वार में उपरोक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2020) में पाया गया था कि खंडीय कार्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित 7.50 किमी0 जल वितरण प्रणाली (पत्थर की गूल) के जीर्णोद्वार की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष केवल 6.844 किमी0 जल वितरण प्रणाली हेतु विस्तृत्त आगणन तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, रुड़की की तकनीकी स्वीकृति (स0-02/एस.ई./2018-19 दिनांक 02-12-2018) लागत `178.55 लाख प्राप्त की गई थी। तदनुसार, कार्य का निष्पादन उपखंडीय (सहायक अभियंता) स्तर से गठित `79.92 लाख की लागत के 13 अनुवन्धों एवं `77.70 लाख की लागत के 44 कार्यदेशों के माध्यम से लगभग आगणित दरों पर करवाया गया था और शेष व्यय/भुगतान जी.एस.टी. एवं प्रकीर्ण मदों से संबन्धित थे।

स्वीकृत आगणन में प्रति किमी0 जल वितरण प्रणाली के निर्माण की लागत निम्न-तालिका में दिये गए विवरण के अनुसार `24.15 लाख अनुमोदित की गई थी और 656 मीटर कम जल वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु कारण दर्ज किया गया था कि योजना गठन के उपरांत बाजार भाव/भण्डार की दरों में हुई वृद्धि एवं जी.एस.टी. लागू होने के कारण 7.50 किमी0 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष केवल 6.844 किमी0 का निर्माण संभव है। आगणन की इन कार्यमदों की दरों के विश्लेषण में पाया गया था कि 5 में से 4 कार्यमदों का आगणन/अनुमोदन PWD-SoR (मई 2018) की दरों पर था जबकि गूल के पत्थर की चिनाई की कार्यमद (1:6 Stone Masonry in Gul Wall) के लिए DSR (Delhi Schedule of Rates) की दर `3467 प्रति घनमीटर[4] ली गई थी। लेखा परीक्षा में पाया गया था कि DSR दर पर उक्त कार्यमद की स्वीकृति अनियमित थी क्योंकि उत्तराखंड में DSR का प्रयोग केवल भवन निर्माण कार्यों के लिए अनुमत्य है शेष राजकीय कार्यों के लिए PWD-SoR लागू होते है जिन्हे लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। यह भी कि DSR की जिस दर (Code-7.1.1) को लिया गया था वह अन्य कार्यमदसे संबन्धित है जिसमें पत्थर की चिनाई क्रमश Cement/CourseSand/20mmGradedStoneAggregate से 1:6:12 के अनुपात में की जाती है। जबकि उक्त कार्य की यह मद केवल 1:6 Stone Masonry in Gul Wall की थी जिसके लिए PWD-SoR (Misc. Item code: 1-4) में यथोचित दर विद्यमान थी और तदनुसार इस कार्यमद का आगणन/अनुमोदन `2,764 प्रति घनमीटर[5] की दर से होना चाहिए था।

Sl	Item of work	BoQ (in M^3)	Unit Rate(`)	Amount (`)
1.	Earth work in Bed of Gul/km	180.00	122.30	22,014
2.	CC 1:3:6 Base Concrete	165.00	4278.40	7,05,936
3.	CC 1:3:4 in Gul Bed	7.50	4998.80	37,491
4.	Stone Masonry in 1:6 in Gul Wall	350.00	3467.00	12,13,450
5.	Cement Plaster 1:4	2700 M^2	161.70	4,36,590
	Total per km cost			**24,15,481**

[4]DSR:`3965.85/cum(Code-7.1.1)जिसमेसे 50प्रतिशत पत्थरकीलागत `498.80/cumको इसलिए कम किया गया था कि कार्य जीर्णोद्वार से संबन्धित होने के कारण आधी मात्रा के पुराने पत्थरों का पुनः प्रयोग किया जाएगा।

[5]PWD-SoR:`3100.90/cum(Misc. Item code: 1-4)जिसमेसे 50प्रतिशत पत्थरकीलागत = `337.10/cumको इसलिए कम किया गया क्योंकि कार्य जीर्णोद्वार से संबन्धित है और उक्त के लिए आधी मात्रा के पुराने पत्थरों का पुनः प्रयोग किया गया था।

इस प्रकार लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था उक्त कार्यमद का आगणन/अनुमोदन `703 प्रति घनमीटर की उच्च दर से अनुचित रूप से किया गया था और उक्त के परिणामस्वरूप कार्य पर `19,19,728 का अतिरिक्त व्यय[6] हुआ था जिससे लगभग सम्पूर्ण छोड़ी गई 656 मीटर जल वितरण प्रणाली (गूल निर्माण) का कार्य पूर्ण (`24 लाख प्रति किमी0 की लागत दर के अनुसार) किया जा सकता था। इसप्रकार कार्य हेतु स्वीकृति धनराशि `178.55 लाख में सम्पूर्ण लम्बाई 7.50 किमी0 के कार्य निष्पादन संभव थे यदि कार्य की सभी मदों का आगणन एव अनुमोदन PWD-SoR पर किया गया होता।

प्रकरण को लेखा परीक्षा में उठाये जाने पर खंडीय कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था कि DSR की उक्त मद में StoneMasonry व Levelling भी है और कार्य स्थान पर इस दर के आधार पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित था, जबकि PWD-SoR में केवल StoneMasonry कार्य कराया जा सकता था और Levelling व PointingCementConcrete के लिए अलग से rate लेने पड़ते जो DSR की दर से ज्यादा हो रहा था। उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि ये अतिरिक्त कार्य (Levelling व Pointing) सीमेंट कंक्रीट (CementConcrete) से संबन्धित थे जिसके लिए इस कार्य के अंतर्गत पृथक कार्यमदें स्वीकृत थी (देखे उपरोक्त तालिका के क्रम स0-2 व 3 की कार्यमदें)।

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया था कि खण्ड उक्त कार्य को छोटे-2 टुकड़ों में बाटकर (13 अनुवन्धों एवं 44 कार्यदेशों) निष्पादित कराया जाना भी अनियमित था क्योंकि शासन द्वारा समय-2 पर जारी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार `1.5 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की अधिप्राप्ति समग्र रूप से राष्ट्रीय स्तर की निविदा के माध्यम से की जानी होती है।

अतः कार्य को अनुचित/उच्चतर लागत दरों पर आगणित किए जाने के कारण हुए `19.20 लाख के अतिरिक्त/परिहार्य व्यय एवं उक्त के कारण स्वीकृत लम्बाई में से 656 मीटर के गूल निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का यह प्रकरण शासन के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रकाश में लाया जाता है।

---

[6] `703(SoR दरअन्तर)x 350 cum (आवश्यकमात्राप्रतिkm) x 6.844 km (गुलोंकीलम्बाई)= **`16,83,966 + `2.35,755लाख**(14% overhead charges for GST and contingency, as per provision of sanctioned estimate).

भाग-2 (ब)

प्रस्तर3:- ठेकेदारों को जी.एस.टी. का अनियमित भुगतान रु. 1.06 लाख।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक 2137/11(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांक 05.09.2017 प्रावधानित है कि दिनांक 30 जून 2017 तक दाखिल माप पुस्तिकाओं (एम. बी.) में दर्ज हो चुके कार्यों पर कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरांत एम.बी.में दर्ज कार्यों के संबंध में कर के दायित्व का निर्धारण जी.एस.टी. के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि **invoice** प्रस्तुत किया जाता है तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

कार्यालय के चयनित माहों से संबन्धित माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया है कि खंड द्वारा 19 कार्य जिनका मापन,माप पुस्तिका के अनुसार दिनांक 30.06.2017 से पूर्व किया गया था, के बिलों में भुगतान के समय जी. एस. टी. की दर सम्मिलित की गई थी। उक्त कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्रम संख्या	माप पुस्तिका संख्या	कार्य क नाम	मापन की तिथि	धनराशि	जी.एस.टी.	कुल धनराशि
1.	05 L	Construction of Outlet repairing and leakage-98 LG	20.04.2017	66185	7942	74127
2.		Construction of Outlet repairing and leakage-6 LG	21.04.2017	67105	8053	75158
3.		Construction of Outlet repairing and leakage-40 LG	22.04.2017	74939	8993	83932
4.		Construction of Outlet repairing and leakage-104 LG	22.04.2017	82506	9901	92407
5.		Construction of Outlet repairing and leakage-11 LG	24.04.2017	88888	10667	99555
6.		Construction of Outlet repairing and leakage-100 LG	27.06.2017	63284	7594	70878
7.		Construction of Outlet repairing and leakage-12 LG	29.06.2017	57727	6927	64654
8.		Construction of Outlet repairing and leakage-78 LG	29.06.2017	71605	8592	80197
9.	19L	Lifting and lowering	26.03.2017	26000	4680	30680
10.		Lifting and lowering	31.03.2017	26000	4680	30680
11.		Lifting and lowering	31.03.2017	17290	3112	20402
12.		Lifting and lowering	31.03.2017	17290	3112	20402
13.		Lifting and lowering	15.04.2017	15600	2808	18408
14.		Lifting and lowering	29.04.2017	22100	3978	26078
15.		Electrical and mechanical work	30.04.2017	17290	3112	20402
16.		Lifting and lowering	31.05.2017	7800	1404	9204
17.		Electrical and mechanical work	31.05.2017	17290	3112	20402

18.		Lifting and lowering	31.05.2017	26000	4680	30680
19.		Electrical and mechanical work	31.05.2017	17290	3112	20402
20.				782189	106459	888648

देयकों में जी.एस.टी. सम्मिलित किए जाने से ठेकेदार को रु.1.06 लाख का अदेय लाभ प्राप्त हुआ एवं राजकोष पर अतिरिक्त व्यय का भार पड़ा। अतः नियमों का अनुपालन न किए जाने से देयकों में जी. एस. टी. की दर सम्मिलित कर रु. 1.06 लाख के अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि ठेकादार द्वारा उक्त बिल जुलाई 2017 के उपरांत प्रस्तुत किए गए थे अतः 01 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात जी.एस.टी. दिशानिर्देशों के अनुसार इसका भुगतान किया गया था। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश दिनांक 05.09.2017 में 01.07.2017 से जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत देयकों के भुगतान/ निविदा हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे जिसके अनुसार यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 30 जून 2017 तक दाखिल माप पुस्तिकाओं (एम. बी.) में दर्ज हो चुके कार्यों पर कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरांत एम.बी.में दर्ज कार्यों के संबंध में कर के दायित्व का निर्धारण जी.एस.टी. के प्राविधानों के अनुसार होगा।

अतः ठेकेदारों के देयकों पर अतिरिक्त जी.एस.टी. जोड़ने से उन्हें रु. 1.06 लाख का अदेय लाभ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
83/2017-18	--	01,02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि उक्त प्रस्तर के संबंध में इकाई के उत्तर उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए गए हैं। अत: उक्त अनिस्तारित प्रस्तर यथावत रखे जा सकते है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य–

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिंचाई विभाग, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) चालान पंजिका एवं चालान

(ii) स्टॉक लेखे

(iii) माप पुस्तिका संख्या 01L,07L,08L,27L,32L,34L,38L,42L,52L,54L,530Lएवं 544L

(iv) 11-C पंजिका

(v) निम्नलिखित अभिलेखों के वाउचर:

क्रम संख्या	**कार्यादेश संख्या एवं दिनांक / कार्यादेश की धनराशि**
1.	No.-22/4818; dated 02/11/2016 ₹26000.00
2.	No.-50/4819; dated 01/03/2017 ₹26000.00
3.	No.-04/4823; dated 01/03/2017 ₹34580.00
4.	No.-05/4823; dated 01/03/2017 ₹52000.00
5.	No.-35/4823; dated 01/05/2017 ₹59850.00
6.	No.-11/5002; dated 22/07/2017 ₹236550.00
7.	No.-16/5004; dated 06/10/2017 ₹164540.76
8.	No.-20/5002; dated 21/07/2017 ₹264259.00
9.	No.-18/5002; dated 21/07/2017 ₹38625.00
10.	No.-42/4818; dated 14/12/2016 ₹236213.94
11.	No.-40/4818; dated 14/12/2016 ₹154456.00

12. Work order No.-19/4823 (₹69401.00), 20/4823 (₹76129), 21/4823 (₹93893), 22/4823 (₹53128), 23/4823 (₹91821.00)

13. Work order No.-19/5002 (₹78200.00), 21/5002 (₹97009.00), 22/5002 (₹147965.00), 33/5002 (₹17290.00), 35/5002 (₹73599.00), 36/5002 (₹147964.22), 37/5002 (₹83879.74), 42/5002 (₹18000.00), 43/5002 (₹32400.00) 44/5002 (₹18000.00) 45/5002 (₹26000.00) 48/5002 (₹18000.00)

3. **सतत् अनियमिततताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री आर.बी. सिंह	अधिशासी अभियंता	22.09.2017- 19.07.2018
02	श्री जबर सिंह नेगी	अधिशासी अभियंता	19.07.2018- 19.09.2019
03	श्री एस.एस. बिष्ट	अधिशासी अभियंता (कार्यवाहक)	20.09.2019- 06.08.2020
04	श्री सुरेश पाल	अधिशासी अभियंता	06.08.2020 से वर्तमान तक

5. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री हरमिंदर खत्री	वरि॰ प्रभागीय लेखाधिकारी	17.06.2017 से वर्तमान तक

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालयअधिशासी अभियंता, नलकूप खंड,सिंचाई विभाग, हरिद्वार कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउपमहालेखाकार/ए॰एम॰जी॰- I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी. - I